दिनाक 08.01.2021
प्रेस विज्ञप्ति–08/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना सदर बाजार

- **पुलिस कार्यावही में 25 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 07.01.2021 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहबाजनगर रोड़ पर चाँदनी पुलिया के पास पुरस्कार घोषित अभियुक्त चांद उर्फ तकवीर की घेराबन्दी गयी तो अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त चांद उर्फ तकवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के विभिन्न थानो पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं तथा गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1077/17 धारा 392/413 भादवि व मु0अ0सं0 535/17 धारा 392/413 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चांद उर्फ तकवीर निवासी दौलतपुर तुमुर्की थाना मंझिला जनपद हरदोई।

<u>बरामदगी–</u>

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद बरेली/थाना कैण्ट</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट की पिकप वाहन 27 हजार 960 रूपये नगद,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस, 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद**

दिनांक 07–01–2021 की सांय थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नकटिया नहर के पास से 04 अभियुक्त 1–समर उर्फ गोलू 2– राहुल उर्फ नन्ही 3– मोहित 4– कृष्णपाल उर्फ केपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट की पिकप वाहन, 27 हजार 960 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस, 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.01.2021 को वादी द्वारा दीवान कलस नमकीन कम्पनी का कैस 27 हजार 960 रूपये लेकर बरेली जा रहे थे, तभी अज्ञात व्यक्तियो द्वारा पिकप में रखे कैस व गाड़ी को लूट कर भाग गये, जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0 04/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तों से बरामद माल उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– समर उर्फ गोलू निवासी डेलापीर गौटिया मजार वाली गली थाना इज्जतनगर बरेली।

2– राहुल उर्फ नन्ही निवासी लेवर कालोनी थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।

3– मोहित निवासी मोहल्ला संजयनगर थाना बारादरी जनपद बरेली।

4– कृष्णपाल उर्फ केपी निवासी विष्णुधाम कालोनी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

बरामदगीः–

1– लूटी की पिकप वाहन

2–लूट के 27 हजार 960 रूपये नगद,

3– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस,

4– 01 मोटरसाइकिल आदि।

जनपद मुजफ्फर नगर /थाना बुढ़ाना

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूट के 21 हजार 550 रूपये नगद,**
- **02 अवैध तमंचे, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07–01–2021 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान उमरपुर के पास से मोटर साइकिल सवार बदमाशो की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशो द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी गजेन्द्र सिंह, व आरक्षी हिमांशु घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 02 बदमाश 1–मुस्तफा 2–आसिफ घायल हो गया , जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये , जिसके गिरफ्तार के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 21 हजार 550 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 04.01.2021 को थाना बुढ़ाना क्षेत्र में बन्धन बैंक के कर्मियों के साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर मु0अ0सं0–8/21 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृतकर घटना

के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद धनराशि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त –:</u>

1—मुस्तफा निवासी ग्राम उमरपुर थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर ।

2—आसिफ निवासी मोहल्ला सफीपुर पट्टी कस्बा व थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगीः—</u>

1—लूट के 21 हजार 550 रूपये नगद,

2—02 अवैध तमंचे, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

3—01 मोटर साइकिल बरामद।

<u>जनपद बस्ती/कोतवाली</u>

- **25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनॉकः 08.01.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित 02 अपराधियों 1—विकास 2—तनमयमित्रा उर्फ बबाई को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0—1392/16 धारा 406/117/419/420/467/468/471/120बी भादवि में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>

1–विकास निवासी –0147 गन्ती लश्कर पारा थाना जीवनतला जनपद दक्षिण, 24 परगना पश्चिम बंगाल।

2–तनमय मित्रा उर्फ बबाई निवासी 0147 गन्ती लश्कर पारा थाना जीवनतला जनपद दक्षिण, 24 परगना पश्चिम बंगाल।

<u>जनपद गोरखपुर/थाना पिपराईच</u>

- **04 वाहन चोर गिरफ्तार,**
- **चोरी के लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 02 ट्रक व 02 बोलेरो वाहन,**
- **घटना में प्रयुक्त अल्टो कार बरामद**

दिनांक 08.01.2021 को थाना पिपराईच व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कोनी तिराहा पेट्रोल पम्प के पास से 04 वाहन चोर 1–जितेश कुमार 2–राजन 3–अरविन्द कुमार 4–रमेश को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 02 ट्रक, 02 बोलेरो वाहन व घटना में प्रयुक्त अल्टोकार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनके द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित कर ग्राहक मिलने पर चोरी के वाहनो को बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पिपराईच पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>

1–जितेश कुमार निवासी ग्राम बेलवा बुर्जुग थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

2–राजन निवासी ग्राम बरसैना नं0–2 थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

3–अरविन्द कुमार निवासी ग्राम बरसैना नं0–2 थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

4–रमेश निवासी केवटली थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।

<u>बरामदगीः—</u>

1—चोरी के 02 ट्रक, 02 बोलेरो वाहन।

2— घटना में प्रयुक्त अल्टो कार बरामद।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 तस्कर गिरफ्तार।

दिनांक 07.01.2021 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेष को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले के 04 सदस्य को 378 किलोग्राम गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 60 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1— मनीष पुत्र नागेन्द्र राय नि0 अली गांव पुस्ता रोड थाना सरिता बिहार, दिल्ली।

2— अजीत पुत्र रूकम पाल सिंह नि0 नंगला बनवा बिरहैंची जनपद एटा।

3— योगेश कुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी नंगला बिधान थाना सिकन्दरपुर जनपद कासगंज।

4— आदित्य कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी गांव गोवांधरी थाना कुंडवा जनपद पूर्वी चंपारण बिहार।

<u>बरामदगीः</u>

1— 378 किलोग्राम गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 60 लाख रूपये)

2— 02 अदद तमन्चा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस

3— 01 कैंटर टाटा 709 नं0—यूपी—82 एसी—0754

4— 01 होण्डा सिटी कार नं0— डीएल—4 सीएएच—4517

5— 01 SX4 नं0—डीएल—7 सीएच—2115

6— 05 अदद मोबाईल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 07.01.2021, नंगला समन मोड, थाना कोतवाली देहात एटा समय:23.30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट मेरठ की टीम को मुखबिरों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उडीसा से मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही है जो वहा से आने वाले ट्रको/कैन्टरों में लाये जा रहे सामान में छिपाकर लाया जा रहा है तथा पश्चिमी उ0प्र0 के एटा एंव दिल्ली एनसीआर आदि क्षेत्रों में गांजा बेचा जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कैंटर टाटा 1109 नं0—यूपी—82 एसी—0754 उड़ीसा गया है तथा वहॉ से भारी मात्रा में गांजा लेकर कानपुर, आगरा होते हुए एटा पहुँचेगा तथा वहा से पश्चिमी उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों एवं दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई की जानी हैं। सूचना पर यकीन करते हुए व उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 प्रीतम भाटी, हे0कां0 प्रमोद कुमार, कान्स0 भूपेन्द्र कुमार, कान्स0 आकाशदीप, कान्स0 प्रदीप धनकड एवं कान्स0 अंकित श्यौरान की टीम एटा रवाना हुई तथा स्थानीय पुलिस जनपद एटा की टीम को साथ लेकर दिनांकः 07.01.2021 को समय लगभग 23.30 बजे रात्रि नगला समन मोड, जनपद एटा से 04 अभियुक्तों को 378 किलोग्राम गांजा सहित गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त योगेश कैंटर चालक ने पूछताछ पर बताया कि राकेश पुत्र जुगेन्द्र निवासी ग्राम अमीरपुर थाना मिरहची जनपद एटा, उ0प्र0 के उडीसा में गांजा व्यापारियों के साथ सम्बन्ध हैं तथा राकेश गांजा मंगाकर पश्चिमी उ0प्र0 एवं एनसीआर के जनपदों में सप्लाई करता हैं। दिनांक 03.01.2021 को राकेश के कहने पर मैं एवं अश्वनी पुत्र अरविन्द यादव नि0 नंगला सेवा थाना कोतवाली देहात जनपद एटा कैंटर टाटा 1109 से उडीसा के लिए रवाना हुए थे तथा वहॉ से दिनांक 05.01.2021 को हम लोगों ने उडीसा से माल लेकर एटा के लिए चल दिये थे। एटा पहुँचने से पहले ही रास्ते में हम लोगो ने राकेश उपरोक्त से सम्पर्क किया तो राकेश ने हमें नंगला समन गांव के पास कैंटर खडा करने को कहा। जैसे ही हम लोग नंगला समन गांव के पास पहुँचे तो

राकेश ने कहॉ कि अन्धेरा होने तक वही रूकने को कहा और हम वही रूके रहे। कुछ अन्धेरा होने पर एक होण्डा सिटी कार से राकेश व अजीत तथा एक गाड़ी SX4 से मनीष व आदित्य आये और कैंटर से माल को उतारकर इन दोनों छोटी गाडियों में भरने लगे। जैसे ही हम लोग कैंटर से माल उतारकर छोटी गाडियों में रख रहे थे तो आप लोगों ने हम चार लोगों को पकड लिया तथा राकेश एवं अश्वनी मौका पाकर भाग गये। हम लोग यह माल पहले भी 4—5 बार उडीसा से लाकर दिल्ली एवं पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में सप्लाई कर चुके हैं। आज भी यह सामान दिल्ली एनसीआर में ले जाकर विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया जाना था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली देहात जनपद एटा पर मु0अ0सं0 5/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 420 भादवि, मु0अ0सं0 6,7/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>जनपद श्रावस्ती/ थाना इकौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय श्रावस्ती द्वारा थाना इकौना पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/376 भादवि में अभियुक्त श्यामता को 10 वर्ष का कारावास व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————